रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 402] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 12, 1994/श्रावण 21, 1916
No. 402] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 12, 1994/SRAVANA 21, 1916

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली 12 अगस्त, 1994

का.आ. 590 (अ) :— केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 के पैरा 3 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग) के आदेश सं. का.आ. 394 (अ) दिनांक 17 जून, 1993 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के नीचे की सारणी के क्रम सं. 29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	प्रपुंज औषधि का नाम	इकाई	अधिकतम कीमत (रु.)
1	2	3	4
"29.	सल्फाडिमिडाइन	किग्रा	460.00"

[सं. 8(32)/85-पी आई (1)]

के. मुरलीधरन, डैस्क अधिकारी

टिप्पण :- मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3 (ii) दिनांक 17 जून, 1993 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग) की अधिसूचना सं.का.आ. 394 (अ) दिनांक 17 जून, 1993 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था ।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 12th August, 1994

S.O. 590(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1987, the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India, in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals) No. S.O. 394(E), dated, 17th June, 1993 namely :—

In the Table below the said Order, for serial number 29 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of the Bulk Drug	Unit	Maximum Price (Rs)
1	2	3	4
"29	Sulphaqimidine	kg.	460.00"

[No. 8(32)/85-PI-I]

K. MURLIDHARAN, Desk Officer

NOTE : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii) dated, the 17th June, 1993 vide Government Notification in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals) No. S O. 394(E), dated, the 17th June, 1993.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 1994